07-09-25. पत्रावली पेश हुई। वकुलाय करिदेन उपस्थित। प्रकरण में प्रा. पत्र की उभय पक्षकारान के बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मौजा गेजी तहसील डूंगरपुर की आराजी नम्बर 277, 278, 279, 266, व 267 जिसके हाल साबिक नम्बर 480, 475, 476, 477, 1040 व 1041 बने हैं। विवादित खसरों को विपक्षी संख्या एक द्वारा धोखे से रजिस्ट्रार कार्यालय मे ले जाकर नामान्तरण खुलवाने का कहकर रजिस्ट्री करवा दी, जबकि प्रार्थी ने विपक्षी सं०.1 को जमीन नही बेची थी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रा. पत्र मे वर्णित तथ्यों को फिर से दोहराया तथा विपक्षी एक के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने निवेदन किया गया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया है कि विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 14.02.2013 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रार्थीगण से वर्णित भूमि को खरीदी है तथा

निरन्तर

विक्रय के 10 वर्षों के पश्चात् ग्रामीण की स्थित मे सुधार आ जाने से तथा जमीन के भावों में वृद्धि होने से यह प्रा. पत्र विपक्षी सं. 1 को तंग परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया है। जिसे निरस्त किये जाने निवेदन किया है। उभय पक्षकारान की बहस समाप्त की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी संख्या 1 ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से वादग्रस्त भूमि को खरीदा है। वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे विपक्षी संख्या एक का नाम दर्ज होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा. पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली के तत्व शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

SDO